# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 32/2021

बनवारी लाल पुत्र चोथूराम जाति नायक निवासी वार्ड न0 6, राज की कोठी के पास, मोहल्ला नायकों का मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र श्री मालाराम
2. जगन पुत्र मालाराम (दौराने दावा मृतक)
   2/1. संतोष पत्नी जगन
   2/2. महेन्द्र पुत्र जगन
   2/3. पवन पुत्र जगन
   2/4 श्यामलाल पुत्र जगन (दौराने दावा मृतक)
   2/4/1. किन्नू उर्फ किनूड़ी पत्नी श्यामलाल
   2/4/2. धोलिया पुत्र श्यामलाल
3. नागर पुत्र मालाराम
   3/1. कांतीलाल पुत्र नागर
   समस्त जाति नायक निवासी वार्ड न0 2, राज की कोठी के पास, मोहल्ला नायकों का मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा धोषणात्मक व हुकमइम्तनाही दवामी इस अमरका की प्रतिवादीगण वादी की खरीदशुदा भूमि में जबरन प्रवेश कर काश्त न करे तथा न ही वादी को बेदखल करें, शहादत हर किश्मी व तहरीरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

## निर्णय

निर्णय दिनांक 12.05.2022

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि उक्त दावा वादी ने अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार की धोषणा के लिये प्रस्तुत किया है तथा विपरीत कब्जा के आधार व अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का दावा प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है इसलिये वादी का दावा राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः वादी का दावा खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 हस्तगत प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बीत रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है वादी के पिता स्व. चौथूराम के द्वरा वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 3 के

का/दादा स्वर्गीय मालाराम से जरिये इकरारनामा खरीद की गई थी जिसका प्रतिफल वादी के पिता द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/दादा स्व0 मालाराम को अदा कर दिया गया था। जिसका भौतिक कब्जा भी स्व0 मालाराम द्वारा वादी के पिता चौथूराम को सुपुर्द कर दिया गया था जिस बाबत स्व0 चौथूराम द्वारा इकरारनामा भी निष्पादित करवाया जाकर वादी के पिता स्व0 चौथुराम को सुपुर्द कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 के कथन बिना किसी आधार के अंकित करवाये गये है यदि वादी के पिता द्वारा हस्तगत इकरारनामा कुटरचित व फेक तैयार किया गया होता तो प्रतिवादीगण अथवा प्रतिवादीगण के पिता/दादा द्वारा वादी व वादी के पिता के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही निश्चित रूप से की जाती। और वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जाता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी द्वारा अपंजीकृत विक्रय पत्र तथा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का दावा प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आरआरटी 2017 (2) पेज संख्या 1100 :– सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन संख्या 5989/2012 उनवानी भाकर राम बनाम सुरजा राम आदि निर्णय दिनांक 01.02.2017
2. आरआरटी 2019(2) पेज संख्या 1100–1103 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन टीए न0 2501/2018 उनवानी हरीराम बनाम प्रतापी बाई निर्णय दिनांक 10.05.2019
3. आरआरटी 2011(2) पेज संख्या 721–725 :– फुल बैंच, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रेफरेंस टीए न0 2964/1997 उनवानी जगदीश बनाम सीताराम आदि निर्णय दिनांक 03.07.2011

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बीत रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थी (प्रतिवादी) की मुख्य आपति यह है कि वादी द्वारा दावा विपरीत कब्जा के आधार व अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की

ा हेतु पेश किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत इस बात की पुष्टि करते है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वादी/अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में किसी प्रकार का कोई न्यायिक दृष्टांत अथवा कोई विधि द्वारा पुष्ट दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जबकि वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व मूल वाद में स्वयं ने यह माना है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये अपंजीकृत दस्तावेज (इकरारनामा) से क्रय की गई है तथा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी